न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019-00297RAAJu2019-118RTA223 Tulasidevi Vs Bhuridevi

1. तुलसीदेवी पत्नी पेमाराम जाट
2. दयाराम पुत्र पेमाराम जाट
3. गोपाराम पत्रु पेमाराम जाट
4. विरेन्द्रसिंह पुत्र पेमाराम जाट
5. प्रभुराम पुत्र पेमाराम जाट
6. गोरधनराम पुत्र पेमाराम जाट
7. बाबुराम पुत्र पेमाराम जाट
8. श्रवणराम पुत्र पेमाराम जाट
   निवासीगण सिंगडों की ढाणी, नान्दडा कलां
   तहसील व जिला जोधपुर
9. मुन्नीदेवी पुत्री पेमाराम पत्नी नेनाराम जाट,
   निवासी जाटों का बास, बनाड
   जिला जोधपुर
10. सुन्दर देवी पुत्री पेमाराम पत्नी गेनाराम जाट
    निवासी तेतरवालों का बास, गांव खोखरिया
    तहसील व जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. भूरी पुत्री खाजू खां पत्नी छोटू खां मुसलमान
   निवासी राजमहल स्कूल के पास, गुलाबसागर,
   जोधपुर
2. बिस्मिला पुत्र खाजू खां पत्नी अब्दुल गफार खां मुसलामन
   निवासी मोतीकुण्ड नया तालाब, नागौरी गेट, जोधपुर
3. शहीदा पत्नी मीरबक्स मुसलमान, निवासी मोतीकुण्ड नया
   तालाब, नागौरी गेट, जोधपुर
4. अकबर पुत्र मीरबक्स मुसलमान, निवासी मोतीकुण्ड, नया
   तालाब, नागौर गेट, जोधपुर
5. मुराद पुत्र मीरबक्स मुसलमान, निवासी मोतीकुण्ड, नया
   तालाब, नागौर गेट, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. मुन्नी पुत्री खाजू खां पत्नी बालानी खां मुसलमान निवासी महावतों की मस्जिद, फतेहसागर नागौरी गेट, जोधपुर
7. चन्दा पुत्री खाजू खां पत्नी हुसैन खां मुसलमान निवासी बाईपास गुरुद्वारे के पास, बून्दी
8. राजस्थान सरकार

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14 अगस्त 2019 राजस्व वाद संख्या 23/2019 भूरी व अन्य बनाम तुलसीदेवी इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री चेतनराम जाखड, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से सात
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 24 फर.,2020

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2019 भूरी व अन्य बनाम तुलसीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पॉच ने एक राजस्व वाद ग्राम नान्दडाकल (वर्तमान राजस्व ग्राम सिरियादेनगर) स्थित आराजी खसरा संख्या 41 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा, कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 180, 117, 183 एवं 188 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दडाकला वर्तमान ग्राम सिरियादेनगर तहसील जोधपुर की भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा का वादीपक्ष को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें। साथ ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा दिलाया जाकर प्रतिवादी-पक्ष को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी-पक्ष के कब्जा-काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य के माध्यम से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 13 मई 2019 को संस्थित किया गया और प्रतिवादीगण को तलब किया गया, सम्मन पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार तामील के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 03 जुलाई 2019 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये। इसके बाद वादीगण की ओर से अपने वाद की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य में बापी पट्टा ग्राम नान्दडा कलां रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड, खतौनी बंदोबस्त मौजा नान्दडाकलां गवर्नमेण्ट संवत 1999, जमाबंदी संवत 2021 से 2024, संवत 2024 से 2028, सामान्य निरीक्षण एस,आर, वर्ष 1952 के पंजीयन बाबत रिपोर्ट की प्रति, बेचाननामा की प्रति, खाजू खां के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति, मीरबख्स के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति, जमाबंदी संवत 2058 से 2061, संवत 2028 से 2032, म्युटेशन संख्या 40 की प्रति, म्युटेशन संख्या 41 की प्रति, म्युटेशन संख्या 4 की प्रति, म्युटेशन संख्या 44 की प्रति व म्युटेशन संख्या 70 की प्रति कुल प्रदर्श 01 से 16 पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 05 अगस्त 2019 को दावा स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजने की रसीदे है, मगर प्रथम बार ही में सम्मन रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजे जाते, और अगर भेजे जाते है तो भी सम्मनो के साथ वाद की प्रति भेजा जाना आवश्यक है। मगर आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड डाक की रसीदात देखने से मालूम होता है कि रजिस्ट्री के लिए मात्र 25/- रूपये की स्टाम्प ही लगी हुई है, यदि दावे की प्रति साथ लगी होती तो प्रति लिफाफा डाक टिकट 50/- से अधिक की डाक टिकट 50/- से अधिक की लगी हुई होती। इस प्रकार के सम्मन के आधार पर अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही किया जाना न्याय की मंशा एवं विधिक प्रकिया के विरूद्ध है। पहली ही बार रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने के लिए न्यायालय को विशेष कारण लिखना होता है और यदि रजिस्टर्ड सम्मन वापिस प्राप्त नहीं होता है तो वादीगण द्वारा तामिल होने का प्रजम्पशन इ्रा करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होता है, जिस पर न्यायालय द्वारा सम्मन तामिल होने का प्रजम्पशन इ्रा करने के बाद ही इकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जा सकता है। मगर आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायालय का ध्यान RLW 1996(3) Raj. 393, 1995 CCC(1) 629 (Allahabad), 1996(1) CCC 311 व 1996(1) CCC 103 की ओर आकर्षित किया। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 41 की 34

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज है एवं खसरा संख्या 41 की 6 बीघा भूमि घेवरराम के उत्तराधिकारियों के खाते में दर्ज है। मगर वादीगण ने बिना रेकर्ड देखे ही खसरा संख्या 41 रकबा रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा के लिए दावा पेश कर दिया तथा उसमें घेवरराम के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया। इस कारण दावा पोषणीय ही नहीं था। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी तर्क पेश किया कि वाद में वादकारण दिनांक 13 मार्च 1966 को उत्पन्न होना वर्णित किया है, जबकि दावा दिनांक 13 मई 2019 को करीब 52 साल बाद पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में जाहिरा तौर पर दावा मियाद बाहर है, क्योंकि बेदखली के दावे की मियाद 12 साल ही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद-बाधित दावा डिकी करने में गम्भीर त्रुटि की गयी है। प्रतिवादीगण के पूर्वज पेमाराम, बघाराम व घेवरराम ने पीरमोहम्मद आदि 5 खातेदारान से 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 30 अगस्त 1967 खरीद की गयी थी, अतः उक्त बेचान निरस्त कराये बिना वादीगण का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पोषणीय ही नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि में खाजू खां का 1/5 हिस्सा था, जिसके अनुसार उसके हिस्से में मात्र 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही आती है, अतः वादीगण को समस्त 102 बीघा 10 बिस्वा में अपना हिस्सा घोषित कराये बिना तथा बंटवारा कराये बिना खसरा संख्या 41 की 40 बीघा 03 बिस्वा भूमि के लिए विधि अनुसार दावा पोषणीय नहीं था। प्रतिवादीगण सन् 1967 से बहैसियत पंजीबद्ध बेचान खातेदार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, अतः विधिवत उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना 13 मई 2019 को प्रस्तुत दावे में दिनांक 05 अगस्त 2019 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी एकपक्षीय पारित कर दिया जाना न केवल विधि-विरुद्ध है, अपितु प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदि-आदि। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने एवं वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि जहॉ रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सम्मन पूर्ण-पते सहित भिजवाये जाते है, ऐसे सम्मन की ए.डी. यदि किसी कारणवश लौट कर नहीं आती है तो तीस दिन उनके लौट कर आने का इंतजार करने के बाद यह अवधारित कर लिया जाता है कि सम्मनों की समुचित तामील हो चुकी है। जैसा कि 2003(2) डब्ल्युएलएन (एससी) 655 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है। आलौच्य मामले में 16 मई 2019 सम्मन रजिस्टर्ड एडी से भिजवाये गये है, तामील की रिपोर्ट ऑनलाइन की है।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 41 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा प्रारम्भ से ही जमाल खां की थी, बापी पट्टा जमाल खां के नाम दिनांक 20 जनवरी 1943 को जारी हुआ। सेटलमेण्ट खतौनी बंदोबस्त संवत 1999 वादीगण के पूर्वपुरूष खाजूखां के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। संवत 2021 से 2024 में भी खाजू खां का नाम बतौर खातेदार-काश्तकार दर्ज है। दिनांक 21 अगस्त 1952 को पंजीबद्ध बेचान दर्शाकर म्युटेशन संख्या 40 दिनांक 13 मार्च 1966 को स्वीकृत किया जाकर वादग्रस्त आराजी भंवरलाल पुत्र टीकूजी के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी और मूल विवाद का आरम्भ हुआ, भंवरलाल पुत्र टीकू जी के द्वारा 23 मार्च 1957 को पीरू खां, नूर मोहम्मद, नत्थु खां, खाजू खां और बाबू खां पिसरान महमद के नाम वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किये जाने से म्युटेशन संख्या 41 भरा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त बेचान के समय वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

की खातेदारी में दर्ज नहीं थी। इतना ही नहीं, भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख में खाजू खां के पिता का नाम जमाल वर्णित है, भंवरलाल ने जिस खाजू खां व चार अन्य के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख निष्पादित किया, उनके पिता का नाम मौहम्मद था और उन्हीं से अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी विकय-विलेख संख्या 1327 के जरिये खरीद करना जाहिर करते है। मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 13 अक्तूबर 2017 में खाजू खां के पिता का नाम जमाल खां है। उसमें उसका स्थायी ठिकाना गुरुनानक कॉलोनी बून्दी वर्णित है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील सारहीन होने से तदुनसार खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 13 मई 2019 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश देते हुए आइन्दा पेशी 21 मई 2019 मुकर्रर की गयी। 21 मई 2019 की आदेशिका अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अवकाश पर/दीगर कार्य पर व्यस्त है/वकुलाय की हडताल/रेफरेंस होने की रबर स्टाम्प से आदेशिका अंकित करते हुए आगामी तारीख पेशी 27/5/19 दी गयी है, जिसमें लिखावट में 7 व 5 के अंक में कांट-छांट साफ नजर आती है। इसके एकदम पास इसी प्रकार रबर-स्टाम्प से आदेशिका 20 जून 2019 की अंकित है, जिसमें आगामी पेशी 03 जुलाई 2019 मुकर्रर की गयी है। उक्त दोनों रबर-स्टाम्प की आदेशिकाओं के मध्य स्थानाभाव के उपरान्त भी 27 मई 2019 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेशिका, जिसमें माह के अंक 5 में कांट-छांट अर्थात 6 से 5 किया जाना साफ नजर आता है, हाथ से लिखी हुई "आज पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है, दिनांक 20/6/19 को पेश हो।"

इसके बाद 03 जुलाई 2019 की आदेशिका पुनः रबर-स्टाम्प युक्त है जिसमें उपरोक्त दोनो आदेशिकाओं अनुसार मजमून वर्णित है और हाथ से "वकील वादी ने स्पीड पोस्ट की रसीदें व होम डिलीवरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की" लिखा हुआ है। तारीख पेशी आइन्दा 4 जुलाई 2019 मुकर्रर की गयी है। 4 जुलाई 2019 की आदेशिका "... वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी के तामिली पर उचित आदेश दिनांक 08/7/19 को पेश हो।" वर्णित है। 8 जुलाई 2019 की आदेशिका पुनः पूर्वानुसार रबर-स्टाम्प वाली है और आगे पेशी 15 जुलाई 2019 दी गयी है। **उल्लेखनीय है कि 21 मई 2019 से 15 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा रीडर या क्लर्क के हस्ताक्षर नहीं** है। 15 जुलाई 2019 को प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर 1996(1) सीसीसी 311 (म.प्र) में धारित किया गया है कि

> CPC,1908, O.9R.13 – Presiding Officer on leave on date fixed in the case – Reader of Court fixed next date which was not a date of hearing – Unless another date was notified by fresh summons or by exhibiting date on Notice Board, Court could not proceed ex parte (para 8).

मिसल साक्ष्य में दिनांक 24 जुलाई 2019 नियत की गयी। 24 जुलाई 2019 को वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र शामिल मिसल किये जाकर वास्ते बहस तारीख पेशी 02 अगस्त 2019 मुकर्रर की गयी, 02 अगस्त 2019 को बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश मिसल 05 अगस्त 2019 मुकर्रर की गयी। 05 अगस्त 2019 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये जाकर वादीगण-रेस्पो. का दावा डिकी कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 14 अगस्त 2019 को वादीगण की ओर से पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का रकबा संशोधित कर 34 बीघा 03 बिस्वा किया गया।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह भलीभांति विदित हो जाता है कि

1. सम्पूर्ण वाद की कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्याधिक जल्दबाजी से काम लिया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने के कभी कोई आदेश/निर्देश अधीनस्थ न्यायालय से जारी किये ही नहीं गये।
3. तारीख पेशियों के संबंध में काफी कांटछांट एवं जल्दबाजी की हुई है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही, विशेषकर प्रतिवादीगण की तामील के संबंध में, स्थिति संदेहजनक हो जाती है।
4. प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड एडी की बजाय स्पीड-पोस्ट से भिजवायी गयी है, ऐसी स्थिति में प्राप्ति रसीद (पावती अर्थात ए.डी.) लौट कर आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में ऐसी कोई प्रकिया अपनायी गयी है। स्पीट पोस्ट से भेजे गये सम्मन की सम्यक तामील की प्रकिया सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनायी गयी है। इस संबंध में स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा नजीर 2003(2) डब्ल्यु.एल.एन.(एस.सी.) 655 हेडनोट (बी) इस प्रकार है --

2003(2) WLN (SC) 655

(b) General Clauses Act, 1897 – Sec. 27 Civi Procedure Code, 1908 – Order 5 Rule 19(A)(2) – Where the summonses are properly addressed prepaid and duly sent by registered post with acknowledgment due, notwithstanding the fact that acknowledgment having been lost or mislaid or for any other reasons has not been received by Court within thirty days, Court shall presume notice is duly served – However it is always open to defendants to rebut presumption by leading convincing and cogent evidence. (para 9)

मगर आलौच्य मामले में न तो सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये, न ही विधिवत रजिस्टर्ड डाक से "प्राप्ति रसीद (acknowledgment due) सहित भिजवाये गये है। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से उद्धरित नजीरों में दी गयी व्यवस्था इस प्रकार है--

RLW 1996(3) Raj. 393

CPC – O 9 R 13 and O 5 R 9 Setting aside Ex-parte decree – Summons for service – The plaintiff submitted summons to be sent by registered post without A.D. – No summons were submitted for service in ordinary process – Summons sent through post not proved to be served – Defendant was thus not served – Held – Decree set aside. (Para 11 and 12)

सम्मन के साथ दावे की प्रति भी भिजवाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि निम्नांकित नजीर में धारित किया गया है--

1996 CCC(1) 311 (M.P.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

CPC,1908, O.9R.13, O.5R.2 – Copy of plaint to be accompanied with summons – Provision is mandatory – Service of summon s without copy of plaint – Service is not valid – Exparte decree is liable to be set aside (para 8).

प्रतिवादीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 41 की 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज है एवं खसरा संख्या 41 की 6 बीघा भूमि घेवरराम के उत्तराधिकारियों के खाते में दर्ज है। मगर वादीगण ने बिना रेकर्ड देखे ही खसरा संख्या 41 रकबा रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा के लिए दावा पेश कर दिया तथा उसमें घेवरराम के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया। इस कारण दावा पोषणीय ही नहीं था। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी तर्क पेश किया कि वाद में वादकारण दिनांक 13 मार्च 1966 को उत्पन्न होना वर्णित किया है, जबकि दावा दिनांक 13 मई 2019 को करीब 52 साल बाद पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में जाहिरा तौर पर दावा मियाद बाहर है, क्योंकि बेदखली के दावे की मियाद 12 साल ही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद-बाधित दावा डिकी करने में गम्भीर त्रुटि की गयी है। प्रतिवादीगण के पूर्वज पेमाराम, बघाराम व घेवरराम ने पीरमोहम्मद आदि 5 खातेदारान से 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 30 अगस्त 1967 खरीद की गयी थी, अतः उक्त बेचान निरस्त कराये बिना वादीगण का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पोषणीय होने के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में 1995 CCC(1) 629 (Allahabad) की नजीर में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि --

CPC,1908, O.9.R.13 & S.151 – Exparte decree – Setting aside – Decree obtained by concealing necessary facts and avoiding necessary parties – Such a decree can only be termed as a decree obtained by fraud on Court & collusive – Though

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

O.9R.13. CPC does not apply, Court can set aside such decree by exercising inherent powers u/s 151 – Even person not party to suit can apply for setting aside said decree. (para 7),

अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन से भी सहमत है कि इकतरफा कार्यवाही अपील स्तर पर भी अपास्त करवायी जा सकती है, इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित नजीर महत्वपूर्ण है --

1996 CCC(1) 103 (Bombay)

CPC,1908, O.9R.13 & S.96 – Exparte decree – There is no bar to simultaneously challenge an exparte decree by filling application U.O9. R.13 as well as by way of appeal – Sufficient cause for non appearance is to be shown for setting aside exparte decree but in appeal the decree on merits will have to be challenged – However, if either of them is earlier disposed of or decided, the other cannot be continued. (paras 3,4)

जहॉ तक अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन का प्रश्न है कि सेटलमेण्ट खतौनी बंदोबस्त संवत 1999 वादीगण के पूर्वपुरुष खाजूखां के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। संवत 2021 से 2024 में भी खाजू खां का नाम बतौर खातेदार-काश्तकार दर्ज है। दिनांक 21 अगस्त 1952 को पंजीबद्ध बेचान दर्शाकर म्युटेशन संख्या 40 दिनांक 13 मार्च 1966 को स्वीकृत किया जाकर वादग्रस्त आराजी भंवरलाल पुत्र टीकूजी के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी और मूल विवाद का आरम्भ हुआ, भंवरलाल पुत्र टीकू जी के द्वारा 23 मार्च 1957 को पीरु खां, नूर मोहम्मद, नत्थु खां, खाजू खां और बाबू खां पिसरान महमद के नाम वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किये जाने से म्युटेशन संख्या 41 भरा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त बेचान के समय वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल की खातेदारी में दर्ज नहीं थी। इस संबंध में यहॉ यह वर्णित किया जाना नितान्त आवश्यक है कि उक्त **खाजू खां पुत्र जमाल द्वारा भंवरलाल व**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

घेवर के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख में खाजू खां के पिता का नाम जमाल वर्णित है, भंवरलाल ने जिस खाजू खां व चार अन्य के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख निष्पादित किया, उनके पिता का नाम मौहम्मद था और उन्हीं से अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी विकय-विलेख संख्या 1327 के जरिये खरीद करना जाहिर करते है। ऐसी स्थिति में खाजू खां पुत्र जमाल का वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोई हक ही नहीं रहता है और बिना किसी हक के उसके द्वारा प्रस्तुत आलौच्य दावा पोषणीय नहीं है। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। यदि वादी-रेस्पो. खाजू खां पुत्र जमाल द्वारा भंवरलाल और घेवर के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख को वैध नहीं मानते है तो उन्हें सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोई करनी चाहिये।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 05 अगस्त 2019 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट्स सहित सभी पक्षकारान को नये सिरे से मूल वाद में जबाब दावे का अवसर प्रदान करते हुए अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य-सबूत एवं प्रस्तुत अभिलेखों का गहन रूप से परीक्षण करने के बाद न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर